अनुदेशों के अनुसार, केवल कुछ छूट प्राप्त राज्यों, जिनके बारे में प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, के मामलों के अलावा, बल उधार लेने वाले राज्य द्वारा बल उधार देने वाले राज्य को प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मार्च, 1989 में इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि सशस्त्र पुलिस बटालियनों पर होने वाले खर्चे को, बल उधार लेने वाले राज्य द्वारा तिमाही खर्चे के आधार पर, 25 लाख रु० तक प्रति तिमाही प्रति बटालियन की दर से प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर, और दिसम्बर के अंत में भुगतान किया जाएगा। इन अस्थाई भुगतानों को, बाद में, वर्ष के अन्त, मार्च में, पिछले 10 महीनों में हुए वास्तविक खर्चे के आधार और शेष दो महीनों के लिए अनमानित खर्चे के आधार पर, समायोजन किया जाएगा, जिसका अगले वर्ष अंतिम रूप से अगले वर्ष के व्यय के आंकड़ों में लेखा परीक्षा हुए आंकड़ों में समायोजन किया जाएगा। आशा की जाती है कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन अनुदेशों का पालन करेंगे। तथापि, यह ध्यान में आया है कि असम राज्य और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और लक्षद्वीप के प्रशासनों द्वारा उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान नहीं किया गया है।

(च) मध्य प्रदेश सरकार ने असम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तैनात बटालियनों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है। तथापि, यह भारतीय आरक्षित (इंडिया रिजर्व) बटालियनें हैं तथा उनके प्रयोग करने के लिए केन्द्र सरकार को पूर्व अधिकार प्राप्त है।

**जम्मू और कश्मीर में राकेट हमले के कारण हुई मौतें**

1027. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 जनवरी, 1992 को जम्मू और कश्मीर में राकेट हमले में कितने अधिकारी मारे गए थे; और

(ख) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब)** : (क) 24 जनवरी, 1991 को जम्मू एवं कश्मीर में हुए राकेट आक्रमण में किसी भी अधिकारी-गण के मृत्यु के समाचार नहीं मिले हैं। तथापि उसी दिन बम विस्फोट में एक कांस्टेबल की मृत्यु हुई और उसके परिणाम स्वरूप श्रीनगर में पुलिस महा-निदेशक के कार्यालय में आग लग गयी।

(ख) सरकार ने आतंकवादियों के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आसूचना कार्रवाई को और गहन कर दिया है।

**मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए विकास बोर्ड**

1028. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री 24.7.1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 625 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए विकास बोर्डों के स्थापित किए जाने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार कोंकण क्षेत्र के लिए विकास

बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब)** : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अंतर्गत मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कानूनी और संवैधानिक पहलुओं सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से गहराई से जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

**Expenditure on forces in Punjab and J and K**

1029. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the expenditure incurred by Government on deployment of Para Military Forces in Punjab and Kashmir since 1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति**

1030. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में हाल में राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब)** : (क) से (ग) श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) के कुछ सदस्यों ने जनवरी, 1992 में भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिन्दुओं के पवित्र पूजा स्थलों को तोड़े जाने का आरोप लगाया गया है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त ज्ञापन में दिए गए आरोपों का खंडन किया है।

**Amendment to official Secrets Act**

1031. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the "Times of India' dated the 2nd February, 1992 regarding amendment to the Official Secrets Act for providing full information to the journalists; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Madam.

(b) Inter-Ministerial Task Force was set up to go into the entire question regarding Right to Information etc., which has since submitted its Report. Its recommendations reflect on the one hand, the need for a more purposeful information dissemination system, and on the other, a close and comprehensive look on the issues relating to security classification and privacy. In view of the importance and complexity of the subject, formulation of definite views on the issues involved in the matter, including amendments to Official Secrets Act, 1923, would necessarily take time.